यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण क़ानून, 2012

कुछ प्रमुख अंश

14 नवंबर 2012 को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण क़ानून 2012 लागू किया गया। यह बाल पीड़ितों की ज़रूरतों को वयस्क पीड़ितों के मुकाबले अलग तरह से मान्यता देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इस क़ानून के तहत निम्न अपराधों के बारे में प्रावधान किए गए हैं:

- पेनिट्रेटिव और आक्रामक पेनिट्रेटिव यौन आक्रमण
- यौन हमला और आक्रामक यौन हमला (नॉन पेनिट्रेटिव)
- यौन उत्पीड़न तथा
- अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे का इस्तेमाल करना

यह क़ानून केवल इन अपराधों को किए जाने पर ही नहीं बल्कि उनके प्रयासों पर भी सज़ा का प्रावधान करता है।

- धारा 3– में पेनिट्रेटिव यौन हमलों से जुड़े अपराधों के बारे का विवरण दिया गया है तथा धारा 4 में उसके लिए कम से कम सात साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

  लिंग को किस गहराई तक घुसाया गया है, पेनिट्रेशन योनि में किया गया है या नहीं, यही तयशुदा मानक नहीं हैं, बल्कि इसमें बच्चे के मुंह, मूत्रमार्ग अथवा गुदा में पेनिट्रेशन जैसे आपराधिक कार्यों को भी शामिल किया गया है। किसी भी पदार्थ को घुसाना और मुख–मैथुन को भी इस क़नून के तहत पेनिट्रेटिव यौन आक्रमण के रूप में देखा गया है। यहां तक कि यदि कोई वयस्क किसी बच्चे को किसी अन्य के साथ ऐसा करने के विवश करता है, तो यह करना भी अपराध ही है।

- धारा 5– पेनिट्रेटिव यौन अपराधों के बारे में बात करती है। यह किसी आधिकारिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा ऐसे कार्य किए जाने अथवा बच्चे को कोई नुकसान और चोट पहुंचाने के बारे में बात करती है। धारा 6 ऐसे अपराधों के लिए कम से कम दस साल की सज़ा का प्रावधान करती है जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें आधिकारिक व्यक्ति जैसे पुलिस अधिकारी, सशस्त्र/सुरक्षा बल, पुलिस सेवक,संरक्षण और देखभाल प्रदान करने वाला प्रबंधक अथवा कर्मचारी, अस्पतालों, शैक्षिक अथवा धार्मिक संस्थानों आदि का प्रबंधक अथवा कर्मचारी, रिश्तेदार अथवा पारिवारिक सदस्य द्वारा यौन आक्रमण, किसी बच्चे को सेवाएं प्रदान करने वाले किसी सत्ता/प्रबंधक/कर्मचारी अथवा बच्चे के विश्वसनीय अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न भी शामिल है।

  चोट लगने के कारणों में शामिल हैं सामूहिक बलात्कार, पेनिट्रेटिव यौन आक्रमण के दौरान घातक हथियारों का प्रयोग, बच्चे के यौन अंगों को गंभीर चोट पहुंचाना, शारीरिक चोट आदि।

  इस धारा के तहत उन अपराधों को भी शामिल किया गया है जिनके कारण अथवा जिनके प्रभाव से बच्चे को मानसिक आघात पहुंचता है, उसके गर्भवती, एच.आई.वी. संक्रमित होने का ख़तरा उत्पन्न होता है, बच्चे की मानसिक अथवा शारीरिक विकलांगता का लाभ उठाते हुए पेनिट्रेटिव यौन आक्रमण करना, बच्चे के साथ बार–बार उत्पीड़न करना, 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर यौन आक्रमण करना, किसी गर्भवती बच्ची पर यौनिक आक्रमण, यौन हमले के दौरान अथवा उसके बाद बच्चे की हत्या करना का प्रयास करना, सांप्रदायिक अथवा क्षेत्रीय हिंसा के दौरान यौन आक्रमण, अथवा यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत पहले भी सज़ा प्राप्त कर चुका हो बच्चे को ऐसे कार्यों के बाद नंगा घुमाने जैसे कृत्यों को भी इसमें अपराध घोषित किया गया है।

- धारा 7– यौन आक्रमण को परिभाषित करते हुए यौनिक मंशा पर भी बात की गई है, और उसके बारे में धारा 8 के तहत सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद धारा 10 आक्रामक यौन आक्रमण के लिए सज़ा का प्रावधान करती है जिसके बारे में धारा 9 में पेनिट्रेटिव यौन आक्रमण की भांति ही विस्तार से स्पष्ट किया गया है।
- धारा 14– बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने से जुड़े कार्यों के लिए सज़ा के बारे में बताती है जिसकी अपराध करने वाले व्यक्ति की भूमिका के आधार पर कई स्तर/डिग्री तय की गई हैं। धारा 13 अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चे के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले नियमों का प्रावधान करती है।

  यहां तक कि ऊपर बताए गए अपराधों को करने का प्रयास अथवा उनके लिए विवश करने को भी अपराध माना गया है।

  बच्चों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यह क़ानून आदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसे अपराधों की जानकारी रखता हो, उस बारे में विशिष्ट किशोर पुलिस इकाई अथवा स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा। यह अधिनियम किसी मीडिया अथवा होटल अथवा अस्पताल, क्लबों अथवा स्टुडियोज़ अथवा फ़ोटोग्राफ़िक सुविधाओं में काम करने वाले लोगों को भी इस बारे में सूचना/सामग्री मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की ज़िम्मेदारी सौंपता है। उपरोक्त सदर्भ में सूचना दर्ज न कराने अथवा झूठी सूचना देने वालों को इस अधिनियम की धारा 21 के तहत 6 माह तक की कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनों की सज़ा दी जा सकती है।

  यह क़ानून बच्चे के बयान को दर्ज करने अथवा उसकी चिकित्सकीय जांच की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात करता है। यह ध्यान देना ज़रूरी है कि बच्चे की चिकित्सकीय जांच एफ़.आई.आर. दर्ज कराने से पहले भी की जा सकती है। बच्चे के साथ पूछताछ सादा कपड़ों में पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाने के बाहर, किसी ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहां बच्चा सहज महसूस करे।

पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं

1. शिकायत किए जाने के साथ ही तुरंत एफ़.आई.आर दर्ज की जानी चाहिए।
2. बच्चे को तत्काल चिकित्सकीय जांच की जानी चाहिए।
3. अभियुक्त को पीड़ित से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
4. बच्चे को रात में पुलिस थाने में नहीं रखा जाना चाहिए।

पीड़ित का बयान दर्ज करना

1. कहां दर्ज करें– बच्चे के निवास अथवा ऐसी जगह पर जहां वह सहज महसूस करता/करती हो।
2. कौन दर्ज करे– पुलिस अधिकारी जो वर्दी में न हो और उप–निरीक्षक (सब–इंस्पेक्टर) से कम पद पर न हो।
3. कैसे दर्ज करें– बयान को सवाल–जवाब के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।
4. यदि बच्चा/बच्ची शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो अथवा उसकी अलग भाषा हो, तो उसे दुभाषिया तथा अनुवादक मुहैय्या कराया जाए और उसकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाए।

यदि संभव हो तो बयान की ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति इस मौके पर मौजूद हो जिस पर बच्चे को भरोसा हो।

बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को पेश करना

अगर ज़रूरत हो तो बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाना चाहिए– ख़ासतौर से उन मामलों में जहां अभियुक्त कोई पारिवारिक सदस्य अथवा सत्ताधारी पद पर हो। बच्चे की पहचान के बारे में मीडिया को नहीं बताया जाना चाहिए।

चिकित्सकीय जांच की प्रक्रियाएं

1. यदि पीड़ित बच्ची है तो चिकित्सकीय जांच महिला डॉक्टर द्वारा ही की जानी चाहिए।
2. जिस व्यक्ति पर बच्चे को यकीन हो उसे चिकित्सकीय जांच के समय उपस्थित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद न हो तो चिकित्सा संस्थान द्वारा अनुमोदित कोई महिला मेडिकल जांच के समय बच्चे के साथ मौजूद होनी चाहिए।

विशिष्ट अदालतें

- क़ानून के तहत अपराधों के परीक्षण के लिए विशिष्ट सत्र अदालत नियुक्त की जानी चाहिए।
- विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति की जानी चाहिए। यह सरकारी वकील 7 साल से कम की वकालत का अनुभव न रखता हो।
- दोष साबित करने का दायत्व आरोपी पर सौंपा गया है।
- अदालत अनिवार्य रूप से यह मानेगी कि आरोपी यौनिक आक्रमण के समय पूरे होशो–हवास में था।
- अदालत स्वयं ऐसे अपराध का संज्ञान सीधे तौर पर ले सकती है यदि उसे ऐसे किसी अपराध को किए जाने का पता चलता है।
- विशिष्ट अदालत में महिला जज होनी चाहिए। बच्चे से सभी सवाल महिला जज द्वारा ही संवदेनशील तरीके से पूछे जाने चाहिए। सवाल करने का तरीका आक्रामक नहीं होना चाहिए। जज के अलावा, किसी और को बच्चे से प्रत्यक्ष रूप से सवाल पूछने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए।
- अदालत को बच्चे को बयान दर्ज कराए जाते समय बच्चे के लिए थोड़े–थोड़े समय पर अवकाश देना चाहिए।
- विशिष्ट अदालत किसी ऐसे व्यक्ति को अदालत में उपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान कर सकती है जिसके साथ बच्चे को सहजता महसूस हो।
- बच्चे की पहचान गुप्त रखी जानी चाहिए।
- अदालत, सज़ा के अलावा, बच्चे को होने वाली शारीरिक हानि अथवा मानसिक आघात के लिए मुआवज़ा भुगतान किए जाने का प्रावधान कर सकती है।
- अगर किसी बच्चे द्वारा अपराध किया गया है, तो उस बच्चे के साथ किशोर न्याय (बाल देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि उम्र के बारे में दुविधा हो तो, इस बारे में अदालत द्वारा फ़ैसला किया जाना चाहिए तथा इसका कारण लिखित में अनिवार्यतः दर्ज किया जाना चाहिए। (धारा 34) अगर बाद में यह पाया जाता है कि अदालत द्वारा तय की गई बच्चे की उम्र सही नहीं थी तो अदालत के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता।
- बच्चे की गवाही अदालत द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए। अगर इसमें कोई देरी होती है तो उसका कारण लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि साक्ष्य देते समय बच्चे को अभियुक्त दिखाई न दे।
- सुनवाई/परीक्षण कैमरा में होनी चाहिए अर्थात् बंद कमरे में सुनवाई/परीक्षण होनी चाहिए। किसी भी आम जनता अथवा ऐसे किसी भी वकील को अदालत में उपस्थित रहने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए जिसका मामले से संबंध न हो (धारा 37)। यदि अदालत में बच्ची का बयान दर्ज किया जा रहा हो तो अदालत जांच अधिकारी को भी बाहर जाने के लिए कह सकती है।

साभारः फ्लेविया एग्निस, मजलिस, मुंबई